



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1941 (श0)
(सं0 पटना 1355) पटना, वृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 401, दिनांक 26 दिसम्बर 2019--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 का उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त नियमावली के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:--

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;

(x) www.einvoice10.gst.gov.in.

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित है, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत हैं।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-3898)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 401, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)-3898)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 26th December 2019

S.O. 401, dated the 26 december 2019--In exercise of the powers conferred by section 146 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby, notifies the following as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for the purpose of preparation of the invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the aforesaid rules, namely:-

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
- (x) www.einvoice10.gst.gov.in.

Explanation.-For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)3898)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1355-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>